कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 432/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक जुलाई, 22 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत रेनुसागर से हिण्डालको संस्थान तक 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 को 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.1996 से 15.10.2021 तक) लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 हे0 वन भूमि के लीज को आगामी 25 वर्षो हेतु (दिनांक–15.10.2021 से 14.10.2046 तक) नवीनीकरण किये जाने के संबंध में ।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/TRANS/41830/2019)**

संदर्भ:– 1–उप वन संरक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीकार्यालय, लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/04/32/2022/एफ0सी0/1016 दिनांक– 31.03.2023

2–आपका पत्रांक– 3162/11–सी– FP/UP/TRANS/41830/2019 लखनऊ दिनांक–03.04.2023

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 31.03.2023 द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण करते हुए बिन्दुवार सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म मे उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैउक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–311/रेनुकूट/15–27 दिनांक 20.07.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित टेबुलर फार्म मे संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है:–

क्र0 सं0	उप वन संरक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/04/32/2022/एफ0सी0/1016 दिनांक– 31.03.2023 मे अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	As per DSS report partial plantation activity has been observed in the proposed CA area of Jogendra-II , III, 10-11, Viyahawa-3 & 5 . This need rectification/clarification .	इस दोनो बिन्दुओ के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत परियोजना मे प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवतन वन भूमि 106.00 हे0 का चयन करते हुए उससे संबंधित जियो रेफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाइल पूर्व मे प्रेषित की गयी है । चयनित अवनत वन भूमि के आंशिक क्षेत्रो मे वृक्षारोपण गतिविधियॉं होने का उल्लेख भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसके क्रम मे इसकी स्थलीय जॉंच क्षेत्रीय वन अधिकारी अनपरा एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी पिपरी से करायी गयी । जॉंचोपरान्त यह पाया गया है कि चयनित अवनत वन भूमि के जिन क्षेत्रो मे वृक्षारोपण गतिविधियॉं होने का उल्लेख किया
2	As per the DSS analysis previous KML file and revised KML file is same. This needs rectification/clarification .	

		गया है वह क्षेत्र वृक्षारोपण क्षेत्र न होकर लैण्टाना की झाड़ियाँ हैं । प्रश्नगत क्षेत्र मे कोई वनीकरण कार्य नही किया गया है । चयनित क्षेत्रो का के0एम0एल0 फाइल संशोधित करा दिया गया है ।
3	Legal Status of the land on which Aluminum plant is located needs to be intimated .	इस बिन्दु के के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि एल्युमिनियम प्लान्ट का चिन्हित क्षेत्र वर्ष 1980 के पूर्व उ0प्र0 सरकार के आदेश संख्या– बी–1920 / 14–1079 / 59 दिनांक–10.03.1960, आदेश संख्या– 5496 / 14–ए–679 / 60 दिनांक– 20.10.1960 तथा आदेश संख्या– 4399 / 14–ख–601 / 69 दिनांक– 15.07.1971 द्वारा संस्थान को सेल डीड के आधार पर हस्तान्तरित क्षेत्र 1093.35 एकड़ का हिस्सा है । उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी उक्त ओदशो के अनुपालन मे सम्पादित सेलडीड के अनुसार यदि प्रयोक्ता अभिकरण को प्रश्गनत वन भूमि की आवश्यकता नही होगी तो उसे वन विभाग उ0प्र0 सरकार को वापस हो जायेगी ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

सख्या– 432 / अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को सन्दर्भित पत्र के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ0प्र0)

05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 311 /रेनुकूट /15 –27 दिनांक, रेनुकूट,जुलाई, 20 , ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत रेनुसागर से हिण्डालको संस्थान तक 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 को 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.1996 से 15.10.2021 तक) लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 है0 वन भूमि के लीज को आगामी 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.2021 से 14.10.2046 तक) नवीनीकरण किये जाने के संबंध में ।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/41830/2019)

संदर्भः– 1–उप वन संरक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/04/32/2022/एफ0सी0/1016 दिनांक– 31.03.2023
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 3162/11–सी– FP/UP/TRANS/41830/2019 लखनऊ दिनांक–03.04.2023

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 31.03.2023 द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण प्रयोक्ता अभिकरण एवं विभाग द्वारा करते हुए बिन्दुवार सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म मे निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0सं0	उप वन संरक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/04/32/2022/एफ0सी0/1016 दिनांक– 31.03.2023 मे अंकित बिन्दु	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	As per DSS report partial plantation activity has been observed in the proposed CA area of Jogendra-II , III, 10-11, Viyahawa-3 & 5 . This need rectification/clarification .	इस दोनो बिन्दुओ के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना मे प्रभावित वन भूमि के दुगने अवतन वन भूमि 106.00 है0 का चयन करते हुए उससे संबंधित जियो रैफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाइल पूर्व मे प्रेषित की गयी है । चयनित अवनत वन भूमि के आंशिक क्षेत्रो मे वृक्षारोपण गतिविधियों होने का उल्लेख भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसके क्रम मे इसकी स्थलीय जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी अनपरा एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी पिपरी से करायी गयी । जॉचोपरान्त यह पाया गया है कि चयनित अवनत वन भूमि के जिन क्षेत्रो मे वृक्षारोपण गतिविधियों होने का उल्लेख किया गया है वह क्षेत्र वृक्षारोपण क्षेत्र न होकर लैण्टाना की झाड़ियॉ है । प्रश्नगत क्षेत्र मे कोई वनीकरण कार्य नही किया गया है । चयनित क्षेत्रो का के0एम0एल0 फाइल संशोधित करा दिया गया है ।
2	As per the DSS analysis previous KML file and revised KML file is same. This needs rectification/clarification .	
3	Legal Status of the land on which Aluminum	इस बिन्दु के क्रम मे अवगत कराना है कि एल्युमिनियम

	plant is located needs to be intimated .	प्लान्ट का चिन्हित क्षेत्र वर्ष 1960 के पूर्व उ0प्र0 सरकार के आदेश संख्या– बी–1920/14–1079/59 दिनांक– 10.03.1960, आदेश संख्या– 5496/14–ए–679/60 दिनांक– 20.10.1960 तथा आदेश संख्या– 4399/14–ख–601/69 दिनांक– 15.07.1971 द्वारा संस्थान को सेल डीड के आधार पर हस्तान्तरित क्षेत्र 1093.35 एकड़ का हिस्सा है । उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी उक्त ओदशो के अनुपालन मे सम्पादित सेलडीड के अनुसार यदि प्रयोक्ता अभिकरण को प्रश्नगत वन भूमि की आवश्यकता नही होगी तो उसे वन विभाग उ0प्र0 सरकार को वापस हो जायेगी ।

सामान्य

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

मु0व0सं0
27/7/2023

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को मे सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में उच्च/सक्षम स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए नवीनीकरण कराने के संबंध मे अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

335
33
29-07-2023